राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302001)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः पीआर / डीएलबी / PSKSA / Bus Panel / 2021–22 / 2695 दिनांक : 05/07/2022

M/s Rakesh Advertising Pvt. Ltd.,
Head Office: 404 Aakansha Opp.
Vadilal House Navrangpura, Ahmedabad-380009,
Branch Office: G-1, R-15 A, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur-302001

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित 2000 बसों के साईड पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार हेतु परिवर्तित एवं संशोधित डिजाईन के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 835 दिनांक 31.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपकी फर्म को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित बसों के पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार हेतु अनुमोदित डिजाईन के अनुसार 02 माह तक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु कार्यादेश प्रदान किया गया था। कार्यादेश की शर्त संख्या 3 के अनुसार – ''विभाग द्वारा दी गई अनुमोदित डिजाईन के अनुसार ही विज्ञापन करना होगा। **एक माह बाद विज्ञापन के डिजाईन में परिवर्तन किये जाने पर संशोधित डिजाईन के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा।**''

चूंकि फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित किये हुए एक माह पूर्ण होने वाला है। उपरोक्त शर्त संख्या 3 के क्रम में अनुमोदित परिवर्तित एवं संशोधित डिजाईन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः पूर्व प्रासंगिक पत्र में अंकित दरों एवं शर्तो के अध्यधीन संलग्न अनुमोदित परिवर्तित एवं संशोधित डिजाईन के अनुसार 07 दिवस में विज्ञापन प्रदर्शित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः पीआर / डीएलबी / PSKSA / Bus Panel / 2021–22 / 2696 – 2711 दिनांक : 05/07/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. डॉ. जी.एस. संधू, (से.नि. आई.ए.एस.) सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. समन्वयक, सीएमएआर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)